राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ.2(4)डीओपी/ए-।।/15 जयपुर, दिनांक: 12.2.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.04.2023 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, **2015, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में विद्यमान खण्ड** (ठ) **के पश्चात् और विद्यमान खण्ड** (ड) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ठक) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ठक) "कार्य प्रभारित कर्मचारी" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची-।।क के अंतर्गत आने वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारी अभिप्रेत है;"।

3. नियम 4 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) में **विद्यमान अभिव्यक्ति** "अनुसूची-। और, यथास्थिति, अनुसूची-।।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची-।, अनुसूची-।। और, यथास्थिति, अनुसूची-।।क" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) में,-

(i) मूल अंग्रेजी पाठ में खण्ड (क) में, अन्त में आयी **विद्यमान** अभिव्यक्ति "**and**" हटायी जायेगी;

(ii) खण्ड (ख) में, **विद्यमान विराम चिन्ह** "।" के स्थान पर अभिव्यक्ति ";और" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (ग) जोड़ा जायेगा अर्थात्:-

"(ग) अनुसूची-IIक में सम्मिलित कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति/ उन्नयन, इन नियमों के भाग-5क में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।"

5. भाग-5क का अंत:स्थापन.- **उक्त नियमों के विद्यमान भाग 5 के पश्चात् और विद्यमान भाग 6 से पूर्व निम्नलिखित नया भाग** 5क **अंत:स्थापित किया** जायेगा, अर्थात्:-

"भाग- 5क

कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति/ उन्नयन के लिए प्रक्रिया

38क. पदोन्नति/ उन्नयन के लिए मानदण्ड, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित पदोन्नति/उन्नयन के लिए, केवल उन कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा, **जो 1 अप्रैल, 2023 को और उसके पश्चात् सेवारत हैं।**

(2) 01.04.2023 को कार्यरत कार्य प्रभारित **कर्मचारियों की, जिन्होंने सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों और निदेशों के अनुसार उनके अर्द्ध-स्थायी रूप में घोषित किये जाने की तारीख से 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष की नियमित और संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है, पदोन्नति/ उन्नयन के लिए विचार किया** जायेगा ।

(3) इन नियमों से संलग्न अनुसूची-IIक के स्तंभ 3 में प्रगणित व्यक्ति, उनके अर्द्ध-स्थायी रूप में घोषित किये जाने की तारीख से क्रमशः 9,18, और 27 वर्ष की उनकी नियमित और **संतोषप्रद सेवा करने** के अध्यधीन रहते हुए, स्तंभ 4, स्तंभ 5 और स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति/उन्नयन के लिए पात्र होंगे।

(4) अनुसूची-IIक **के स्तंभ 3 में उल्लिखित किसी निम्नतर पद से** अनुसूची-IIक **के स्तंभ 4, स्तंभ 5, स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर** किसी **कार्य प्रभारित कर्मचारी की पदोन्नति/उन्नयन होने के साथ ही, ऐसी पदोन्नति/उन्नयन से पूर्व कार्य प्रभारित कर्मचारियों द्वारा पूर्वतर धारित पद अर्थात्** अनुसूची-IIक **के स्तंभ 3, स्तंभ 4 और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद, तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जायेंगे और भविष्य में इन**

पदों पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जायेगी।

(5) प्राधिकारी जो, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष के चयन वेतनमान (एसीपी) मंजूर करने के लिए सक्षम है, इन नियमों के अनुसार कार्य प्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति/उन्नयन मंजूर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) सरकार ऐसे व्यक्तियों, जो पदोन्नति/ उन्नयन पर विचार करते समय निलंबनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो और जो उस पद पर जिसके वे पात्र हैं या पात्र होते यदि ऐसा निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाहियां लंबित न होंती, की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों को साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम रूप से निपटाने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी ।

(7) उपरोक्त उपबंध केवल वेतन और पेंशन नियतन के प्रयोजन के लिए लागू होंगे और किसी अन्य प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होंगे।

(8) इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भाग-5क के उपबंध प्रभावी होंगे।

(9) 1973 के स्थायी आदेशों और वन विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गये और राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परंतु इन नियमों और अतिष्ठित आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के उपबंध के अधीन की गयी समझी जायेगी।"

6. नयी अनुसूची-IIक का अंत:स्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-II के पश्चात् और विद्यमान अनुसूची-III **से पूर्व निम्नलिखित नयी अनुसूची-IIक अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-**

"अनुसूची-।।क

(कार्य प्रभारित कर्मचारी के लिए)

क्र.सं.	31.03.2023 को या उससे पूर्व प्रारंभिक नियुक्ति के पद का नाम	01.04.2023 को पद के नाम का नया पदनाम	अर्द्ध-स्थायी की तारीख से 9 वर्ष की सेवा को नियमित और संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर लेने के पश्चात् पदोन्नत/उन्नत पद का नाम	अर्द्ध-स्थायी की तारीख से 18 वर्ष की सेवा को नियमित और संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर लेने के पश्चात् पदोन्नत/ उन्नत पद का नाम	अर्द्ध-स्थायी की तारीख से 27 वर्ष की सेवा को नियमित और संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर लेने के पश्चात् पदोन्नत/ उन्नत पद का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.चौकीदार 2. पशु रक्षक 3. खलासी 4. विश्राम गृह पाल 5. पिंजरा क्लीनर 6.वन्य जीव खोजी 7. पानीवाला (भिश्ती) 8. अध्यापक 9. झाड़ूकश 10. बेलदार/कुली 11.चेनमेन	संकर्म सहायक	वरिष्ठ संकर्म सहायक	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-।।।	
2.	1. गेटकीपर 2. पानी वाला एवं फायर वाचर 3. रसोइया 4. वायरलैस परिचारक 5. माली 6. पम्प परिचारक	वरिष्ठ संकर्म सहायक	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-।।।	तकनीशियन-।।	

3.	1. तुलारा 2. सहायक बैचमैन 3. सकुलर आराचालक 4. आरा मरम्मतकार (सॉ डाक्टर) 5. प्रधान माली 6. बेरबर्डर 7. खरादी 8. श्रम मेट 9. बैचमैन-II 10. डिपो मोहर्रिर 11. साइजमैन 12. इलैक्ट्रीशियन	प्रधान संकर्म सहायक	तकनीशियन-III	तकनीशियन-II	तकनीशियन-I	
4.	1. भंडार सहायक 2. मुन्शी 3. प्रयोगशाला सहायक	तकनीशियन-III	तकनीशियन-II	तकनीशियन-I	वरिष्ठ तकनीशियन	
5.	1. इंजिन ड्राइवर 2. मैकेनिक 3. ट्रक चालक 4. बैचमैन	तकनीशियन-II	तकनीशियन-I	वरिष्ठ तकनीशियन	प्रधान तकनीशियन	

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव।

9/2024